उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ
संख्या 3870 /उ0प्र0वि0नि0आ0/विनियमावली 2004
लखनऊ : दिनांक : 24 अगस्त, 2004

अधिसूचना

उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति का गठन और उसके कृत्य) विनियमावली –2004

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 181 के साथ पठित धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या उ0प्र0वि0नि0आ0 579-2000 दिनांक 19 मई 2000 का अधिक्रमण करके, आयोग राज्य सलाहाकार समिति और उसके संबंध में और उसके आनुषंगिक और सहायक मामलों के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(एक) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति का गठन और उसके कृत्य) विनियमावली 2004 कही जाएगी।

(दो) इसका विस्तार उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(तीन) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) इस विनियमावली के निर्वचन पर प्रवृत्त होगा।

(चार) यह विनियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(पांच) मूल विनियमावली अंग्रेजी में होगी और हिन्दी में इसका अनुवाद होगा।

2. परिभाषाएं

[1] इस विनियमावली में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य विद्युत अधिनियम 2003 से है,

(ख) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है,

(ग) 'समिति' का तात्पर्य राज्य सलाहकार समिति से है,

(घ) इस विनियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

3. समिति का गठन

[1] समिति में 21 से अनधिक सदस्य होंगे जिन्हें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 87 के अनुकूल समय–समय पर आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

[2] समिति के सदस्यों को दो वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। आयोग अपने विवेक से किसी सदस्य को एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्त कर सकता है।

[3] पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य, जो समिति की तीन अनवरत बैठकों में भाग लेने में विफल रहे, समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा।

[4] आयोग का अध्यक्ष समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और आयोग के सदस्य, राज्य सरकार का सचिव, जो उस मंत्रालय या विभाग का प्रभारी हो, जो उपभोक्ता मामलों और लोक वितरण प्रणाली से संबंधित हो, समिति के पदेन सदस्य होंगे। यदि अध्यक्ष समुचित आयोग की बैठक में उपस्थिति होने में विफल रहे, तो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट कोई अन्य सदस्य और ऐसे नाम निदेशन के अभाव में या जब कोई अध्यक्ष न हो, तो उपस्थित सदस्यों में से चयनित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

4. समिति का सचिव

[1] आयोग का सचिव समिति का पदेन सचिव होगा।

[2] सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठकों को बुलाए और प्रस्तावित बैठक के दिनांक, समय और स्थान के लिए लिखित में 14 दिन से अन्यून की नोटिस उसके सदस्यों को दे जब तक कि अध्यक्ष द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

5. समिति की कार्यवाही

[1] समिति की बैठकों की कार्यवाही को इस प्रयोजन के लिए रखी गई कार्यवृत्त–पुस्तक में अभिलिखित किया जाएगा और अगली अनुवर्ती बैठक में या ऐसी अनुवर्ती बैठक के पहले किसी समय अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

[2] समिति की बैठक प्रत्येक चार मास में कम से कम एक बार होगी।

[3] समिति की बैठक को प्रारम्भ करने के लिए गणपूर्ति समिति की कुल संख्या (सदस्यों की संख्या) के एक तिहाई से होगी।

[4] यदि बैठक के प्रारम्भ में गणपूर्ति न हो तो कोई कार्य नहीं होगा और बैठक का अध्यक्ष उसके द्वारा नियत किए जाने वाले अन्य दिनांक के लिए बैठक को स्थगित कर सकता है। स्थगित बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

[5] स्थगित बैठक में पूर्ववर्ती बैठक की प्रस्तावित कार्यसूची पर, अन्य मामलों पर विचार किए जाने से पहले, विचार किया जाएगा।

[6] बैठक में उठाए गए किसी व्यवस्था के प्रश्न का विनिश्चय बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

[7] समिति की कोई कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि समिति में कोई रिक्ति रही या समिति के किसी सदस्य को नोटिस या कार्यसूची प्राप्त नहीं हुई या बैठक के कार्यसंचालन में कोई अनियमितता रही।

[8] समिति को उसके विचार–विमर्श में सहायता करने के लिए, समिति के सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों को जिन्हें समिति के हितबद्ध विषय का विशेष या उपयोगी ज्ञान हो, समिति के अध्यक्ष द्वारा उसकी किसी बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति विचार–विमर्श में भाग ले सकते हैं।

[9] जब तक आयोग द्वारा अन्यथा विनिश्चय न किया जाए, समिति की सभी बैठकें सामान्यतया आयोग के कार्यालय में होंगी।

6. **राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों की फीस और भत्ते**

[1] समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए समिति का सदस्य दैनिक भत्ता सहित मात्र यात्रा भत्ता का हकदार होगा और अन्य किसी पारिश्रमिक का नहीं जैसा कि आगे इस विनियमावली में दिया गया है।

[2] सरकारी कर्मचारी से भिन्न समिति का सदस्य, उतने दिन के लिए जितने दिन वह बैठक में भाग ले, दैनिक भत्ता सहित यात्रा भत्ते का हकदार होगा। यात्रा भत्ता न्यूनतम दूरी से ए०सी० प्रथम श्रेणी में आने–जाने के रेल किराए तक सीमित होगा। लखनऊ में रहने वाले सदस्यों के लिए दैनिक भत्ता 500/- रूपये और अन्य के लिए 1000/- रूपये देय होगा।

[3] समिति का सचिव ऐसे यात्रा/दैनिक भत्ता बिलों के संबंध में नियंत्रक प्राधिकारी होगा।

7. **सदस्य का त्याग–पत्र**

समिति के पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य, आयोग के सचिव को लिखित नोटिस द्वारा, अपना पद त्याग सकता है और यह त्याग–पत्र उस दिन से प्रभावी होगा जिस दिन आयोग का अध्यक्ष उसे स्वीकार कर ले।

8. **सदस्य को हटाया जाना**

[1] आयोग समिति के पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य को हटा सकता है यदि वह :

(क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या

(ख) नैतिक अधमता वाले किसी अपराध में सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ग) शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में अक्षम हो; या

(घ) स्वयं इस रीति से आचरण किया हो या अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि उसका सदस्य के रूप में बना रहना लोकहित या अधिनियम के उद्देश्यों या प्रयोजन के प्रतिकूल हो।

[2] उस सदस्य को, जिसे ऊपर उपखण्ड (1) के अधीन हटाए जाने का प्रस्ताव है, आयोग के अध्यक्ष को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा।

9. **प्रकीर्ण**

[1] विद्युत अधिनियम 2003 के उपबन्धों और इस विनियमावली के अधीन रहते हुए, आयोग समय–समय पर इस विनियमावली के क्रियान्वयन और विभिन्न विषयों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में आदेश जारी कर सकता है जिसके संबंध में आयोग इस विनियमावली द्वारा और उसके अनुषंगी और सहायक विषयों में निदेश देने के लिए सशक्त किया गया है।

[2] आयोग किसी भी समय इस विनियमावली के किसी उपबंध में वृद्धि, भिन्नता, परिवर्तन, उपान्तरण या संशोधन कर सकता है।

[3] यदि इस विनियमावली के किसी उपबन्ध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उसे करने या करवाने या समिति को करने या करवाने की अनुमति दे सकता है जो आयोग की राय में कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो।

आयोग के आदेश

संजीव शर्मा

सचिव

उ० प्र० विद्युत नियामक आयोग

सचिव,
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग,
लखनऊ